

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

Gmail ID - dpobemetara@gmail.com

दूरभाष क्रमांक 07824-296013

// विज्ञापन //

क्रमांक / 3359 / म.बा.वि. / सखी / 2024-25

बेमेतरा, दिनांक 16.12.2024

संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 10478/मबावि/मसमि/सखी-4/24-25 नवा रायपुर, दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक/4077 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन नवीन वित्तीय मापदंड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मार्गदर्शिका 2022 मापदंड अनुसार संचालन किया जाना है।

भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर बेमेतरा में दैनिक कार्यों का संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाही के लिए सेवाप्रदाता नियुक्त किया जाना है इस हेतु पात्र महिला आवेदको (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता) से निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों/पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिनांक 16.12.24 से दिनांक 20.12.24 तक शाम 05:00 बजे तक (अवकाश दिनों को छोड़कर) पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से निर्धारित तिथि में आवेदन पत्र कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बेमेतरा में आमंत्रित किए जाते हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क.	सेवा प्रदाताओं का पद नाम	सेवा प्रदाताओं की संख्या	मासिक सेवा शुल्क	वेतन मैट्रिक्स में लेवल (केवल यात्रा व्यय, भत्ता भुगतान गणना के लिए)
1	पैरा लीगल कार्मिक/वकील	अनारक्षित-01 पद	18420/- प्रतिमाह	(लेवल-6)
2	पैरा मेडिकल कार्मिक	अनारक्षित-01 पद	18420/- प्रतिमाह	(लेवल-6)
3	बहुउद्देशीय कर्मचारी/रसोईया	अनु.जाति-01 पद	11720/- प्रतिमाह	(लेवल-2)
4	सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड	अनारक्षित-02 पद	11360/- प्रतिमाह	(लेवल-1)
		अनु.जाति-01 पद		
योग		06		



सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाता हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्यदायित्व-

S.No.	Position	Number of Staff	Qualification	Roles & Responsibilities
1	Para Legal Personnel/ Lawyer	01	In the absence of Legal Advisors provided by District Level Services Authority, the legal counselling services service could be outsourced to any person having a degree in Law/ with legal training or knowledge of law with at least 3 year experience of working within a Government or Non-Government women related project/ program at the district level are to any practicing Lawyer with at least 2 years experience of litigation in any court of law.	- She/he will inform and orient the women about her legal rights and help/guide the women to initiate legal proceeding against the abuse violence suffered, if she is willing to do so. - She/he will coordinate/ liaise with the public Prosecutor or the SALS/DAISA Lawyer, to support the women even after her case has been filed in court as well as to ensure there is follow-up of the case to its logical conclusion. - She/he will simplify legal fine legal procedures for the affected women and advocate for her exemption from court hearings. - see he will facilitate speedy and hassle free police and court proceedings through the employment of video conferencing facility for the recording of statement of women affected by violence.
2	Para Medical Personnel	01	In the absence of regular Para Medical personnell provided by District Health authorities the medical assistance service could be outsource to any women having professional degree diploma in paramedics with a background in health sector and preferably with at least 3 year experience of working within government or non government health project program at the district level	- Paramedical Personnel will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. - She will provide first aid and immediate life-saving medical assistance to the aggrieved women until she reaches the hospital. - She will accompany the woman affected by violence to the Hospital. In cases of women affected by sexual violence, she will ensure strict compliance of the protocol developed by MoHFW to conduct forensic examination and other tests by the Doctors. - She will help in drafting the medical case history of the women affected by violence.
3	Multi-purpose Staff/Cook	01	The multi-purpose activity could be outsourced to any person who is literate with knowledge/experience of working in the relevant domain. High school pass or equivalent will be preferred.	- Multipurpose Helper will work in shift to provide 24 hour services at OSC. - She would be responsible for maintaining hygiene and sanitation at OSC. - It would be her responsibility to clean the toilet (daily at such frequency which keep it clean all the time), dispose the garbage, change the bed sheets, pillow cover(weekly) off shelter room. - She will offer water to the visitor, maintain visitor, register, provide information on legal aid/ police/medical assistance sheet to the women. - She will provide basic Kit Containing soap,comb, shampoo, sanitary pad tooth brush, tooth paste, diapers (in case of infants) and sewing kit to the women who is availing the facility of temporary shelter at OSC. - She will help any other staff with referrals and do such other ancillary work as requested by the Centre Administrator.
4	Security Guard/Night Guard	03	The services could be outsourced to any person who is Passed 8th from any recognized board having at least 2 year experience of working as securities personal in a government are reputed organisation at the district/ state level.He	- security Guard/Night Guard will work in shift to provide 24 hour services at OSC'S. - The Security Guard/ Night Guard would be responsible for the overall security of OSC. - She/he would be responsible for safety of all capital assets, furniture and equipment at OSC.

2

टीप:- शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था /विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जावेगा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आवेदन पत्र जमा करने के अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए। आवेदन पत्र www.bemetara.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. आयु सीमा

- 2.1 उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किए जाने वाले वर्ष के 01.01.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 2.2 आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंकसूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 2.3 पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
- 2.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2.5 चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा स्वास्थ्य परीक्षण में आरोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेंगी।
- 2.6 सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन करना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तत्संबंधी प्रमाण-पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होना होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय पीड़ितों/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
- 2.8 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पत्र नहीं होगा/होगी चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.9 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पत्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन की अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

- 2.10 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंक सूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्राणिक/सत्यापित होना चाहिए।
- 2.11 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता का परीक्षण करना अनिवार्यतः किया जावे।
- 2.12 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 2.13 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा नहीं किया जावेगा।
- 2.14 शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र विचारणी नहीं होगा।
- 2.15 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें।
- 2.16 प्रत्येक पद के लिए पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर वह आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल ऐड्रेस एवं मोबाइल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 2.17 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ली तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाए जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 2.18 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।
- 2.19 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट करियर के माध्यम से ही निर्धारित की गई थी पर स्वीकार किए जाएंगे।
- 2.20 कौशल परीक्षा वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 2.21 योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

३

2.22 इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।

2.23 इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता अनुसार होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

2.24 उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।

3. नियुक्ति प्रक्रिया :- सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयन के निर्देश थे। मिशन शक्ति अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र (DHEW जिला स्तरीय हब) के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावे।

3.1 सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।

3.2 सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तरीय पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।

3.3 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मेरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे।

3.4 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक।

3.5 न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिए जाएंगे अधिकतम 10 अंक।

3.6 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टाफ सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस संघ के रूप में प्रतिवर्ष के लिए 02 अंक दिए जाएंगे जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

3.7 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी।

3.8 वॉक इन इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।

3.9 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

३

10 छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3232/1538/सा./2024/50 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र में एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवा प्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए होता है तो वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान उन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश हैं।

3.11 अतः कंडीका 2.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवाएं समाप्त की गई है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवा प्रदाताओं की योग्यता अनुभव के आधार पर इनकी अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनको आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।

3.12 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तनुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 2 में के उपकंडिका 3.4 एवं 3.5 एवं 3.6 पर प्राप्त कुल 80 अंकों के वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रशियों में जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तनुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

4.नियुक्ति की अवधि :-

4.1 इस समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिनियम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताएं भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिए जाएंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

4.4 चयन के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)